

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1644]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2014/श्रावण 31, 1936

No.1644]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2014/SHRAVANA 31, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2014

का.आ. 2113(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय के तत्कालीन औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना की पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित किए जाने वाले उद्योगों की प्रस्तावित सूची से संबंधित अनुसूची 1 में, मद संख्यांक 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. निम्नलिखित के संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण से भिन्न, रेल प्रचालन :—

- (i) पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से उपनगरीय कॉरिडोर परियोजनाएं ;
- (ii) तीव्रगति रेल परियोजनाएं ;
- (iii) डेडीकेटिड फ्रेट लाइनें ;
- (iv) चल स्टाक जिसके अंतर्गत रेलगाड़ी के सेट भी हैं, और लोकोमोटिव या कोच विनिर्माण और अनुरक्षण सुविधाएं ;
- (v) रेल विद्युतीकरण ;

- (vi) सिग्नल प्रणाली ;
- (vii) दुलाई टर्मिनल ;
- (viii) यात्री टर्मिनल ;
- (ix) रेल लाइन या साइडिंग से संबंधित औद्योगिक पार्क की अवसंरचना जिसके अंतर्गत विद्युन्मय रेल लाइनों और मुख्य रेल लाइनों से संयोजन भी है ; और
- (x) व्यापक द्रुतगामी परिवहन प्रणालियां" ।

[फा. सं. 7(2)/2014-आईएल (आईपी)]

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 1881(अ), तारीख 30 जुलाई, 2010 द्वारा संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2014

S.O. 2113(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry, erstwhile Department of Industrial Development, number S.O. 477(E), dated, the 25th July, 1991, namely:

In the said notification in Schedule-I relating to the proposed list of industries to be reserved for the public sector, for the item number 8, the following shall be substituted, namely:—

“8. Railway operations other than construction, operation and maintenance of the following:

- (i) suburban corridor projects through Public Private Partnership;
- (ii) high speed train projects;
- (iii) dedicated freight lines;
- (iv) rolling stock including train sets, and locomotives or coach manufacturing and maintenance facilities;
- (v) railway electrification;
- (vi) signaling systems;
- (vii) freight terminals;
- (viii) passenger terminals;
- (ix) infrastructure in industrial park pertaining to railway line or sidings including electrified railway lines and connectivities to main railway line; and
- (x) mass rapid transport systems”.

[F. No. 7(2)/2014-IL(IP)]

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 477(E), dated the 25th July, 1991 and last amended *vide* number S.O. 1881(E), dated the 30th July, 2010.